न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 174–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–9–2014 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 59/2011–12/अपील ।

.....

श्रीमती आशा पत्नि रामचरण
निवासी सेलगॉव जाति मेहरा ग्राम कोटवार
सालबर्डी विरान तहसील जिला बैतूल

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–फुलवन्ती पति गोवीन्दराव
निवासी पुलिस लाईन बैतूल तहसील व जिला बैतूल
2–सुनील खातरकर व0 गोवीन्दराव खातरकर
निवासी दुर्गानगर 209 पंचशीन नगर भोपाल
3–सुनी जावलकर व0 स्व0 गुलाबराव
निवासी चुरनी पो0 सेहरा तहसील व जिला बैतूल

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0के0जैन, अभिभाषक–आवेदिका

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक–अनावेदिका कमांक 1

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6/10/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सालबर्डी में कोटवार का पद रिक्त होने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 1–12–2001 को आदेश पारित कर आवेदिका श्रीमती आशा नागले को कोटवार पद पर नियुक्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध कमशः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण प्रचलित होकर राजस्व मण्डल में निगरानी प्रचलित होने और राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 13–5–2008 को प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि कोटवार पद पर स्थायी नियुक्ति हेतु पुनः इश्तिहार जारी कर इच्छुक उम्मीदवार के आवेदन पत्र लिये जाये और कोटवार नियमों का पालन करते हुये स्थायी कोटवार पद पर नये सिरे से नियुक्ति की जाये। राजस्व मण्डल के आदेश के पालन में कार्यवाही कर दिनांक 29–8–2011 को आदेश पारित किया जाकर आवेदिका को कोटवार पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया । तहसीलदार के आदेश विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2–1–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार को निर्देश किया गया कि वे सर्वप्रथम आवेदिका की पाचवीं की अंकसूची की जॉच करें और वह फर्जी पायी जाती है तो आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये और यदि सही पायी जाती है तो तहसीलदार का आदेश यथावत् रहेगा । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 25–9–14 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करते हुये अनावेदिका कमांक 1 फूलवन्ती को स्थायी कोटवार के पद पर नियमानुसार नियुक्ति प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आयुक्त द्वारा केवल अनावेदिका कमांक 1 के तर्को के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो कि आवेदिका के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) प्रकरण में तर्क श्रवण किये जाकर प्रकरण आदेशार्थ नियत कर दिया गया और दिनांक 31–3–2013 से प्रकरण लंबित रख लगभग 18 माह पश्चात् दिनांक 25–9–14 को अंतिम आदेश पारित किया गया है जो कि इसी आधार पर संदिग्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका का स्थायी निवास एवं कोटवारी पद के कार्य के अनुभव पर कोई विचार नहीं किया गया है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश त्रुटिपूर्ण है ।

(4) अनावेदिका कमांक 1 के पिता को ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर पद से हटाया गया था, इसलिये कोटवार के निकट संबंधी होने के आधार पर अनावेदिका कमांक 1 को अग्रमान्यता नहीं दी जा सकती है ।

(5) अनावेदिका कमांक 1 के पति गोविन्दराव पुलिस में नौकरी करते है और अनावेदिका कमांक 1 परिवार सहित पुलिस लाईन में निवास करती है, जबकि उसे सेलगॉव का स्थायी निवासी बताया गया है और वह सेलगॉव व सालबर्डी में निवास नहीं करती है ।

(6) आवेदिका द्वारा वर्ष 2001 से निरन्तर निष्ठापूर्वक कोटवार के पद पर कार्य किया गया है, अतः उसकी योग्यता व अनुभव पर शंका नहीं की जा सकती है ।

तर्क के समर्थन में 1984 आरएन 405 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदिका कमांक 1 के पिता कोटवार मारोती के पैर में चोट लगने के कारण चलने–फिरने में असमर्थ होने से कोटवार पद से सेवानिवृत्त हुये हैं और पिता के कोटवार पद से सेवानिवृत्त होने के एक दिन के अन्दर ही आवेदिका के पति द्वारा तत्कालीन सरपंच का लाभ लेते हुये आवेदिका को कोटवार पद पर

नियुक्ति करवा ली है, जो कि निरस्त करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) आवेदिका द्वारा कोटवार पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, अतः वे प्रतिदिन थाने में हाजिरी नहीं देती है और न ही दस्तावेज को समय पर थान में पहुँचाती है ।

(3) तहसीलदार द्वारा शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को अनदेखा कर आवेदिका की नियुक्ति की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है, अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

(4) आवेदिका की नियुक्ति ग्राम पंचायत की राय के आधार पर की गई है, जबकि ग्राम पंचायत की राय के आधार पर कोटवार पद की नियुक्ति नहीं की जा सकती है ।

(5) आवेदिका द्वारा कोटवार पद पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ होने पर ग्राम में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः वे कोटवार पद की अभ्यर्थी है, यह नहीं कहा जा सकता है ।

(6) अनावेदिका कमांक 1 पूर्व कोटवार मारोती की पुत्री है, इसलिये उसे कोटवार पद की नियुक्ति में अग्रमान्यता प्राप्त होगी, जिसे देने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(7) कोटवार की नियुक्ति हेतु उसी ग्राम में निवास करना आवश्यक शर्त नहीं है, केवल यह देखना होता है कि नियुक्त कोटवार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन के लिये उपर्युक्त है कि नहीं, और अनावेदिका कमांक 1 अपने कोटवारी पद का निर्वहन करने के लिये उपर्युक्त है ।

(8) आवेदिका की उम्र उद्घोषणा की तारीख को 21 वर्ष से कम थी, इसलिये वह कोटवार पद के लिये उपयुक्त नहीं है, इसलिये तहसीलदार द्वारा उसकी नियुक्ति करने में अवैधानिकता की गई थी, इसलिये तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(9) आवेदिका के पति ग्राम सरपंच द्वारा ग्राम सभा की बैठक में रोड, पानी की टंकी एवं सरपंच का चार्ज गुणवंत बाबा को देना बताकर कोटवार पद पर नियुक्ति प्रस्ताव पर घर–घर जाकर हस्ताक्षर कराये गये है, इसलिये ऐसे प्रस्ताव मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

(10) आयुक्त द्वारा अनावेदिका कमांक 1 को संहिता की धारा 230 के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं शासन के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अग्रमान्यता दी गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है ।

(11) अनावेदिका द्वारा कोटवार पद पर होने व उसकी नियुक्ति की आड़ में शासकीय सेवा की भूमि को दो बैंकों में बंधक रखने एवं रुपये 1,29,672/– एवं रुपये 76,400/– प्राप्त कर लिये गये है, उक्त कृत्य आपराधिक श्रेणी में आता है ।

तर्क के समर्थन में 1991 आरएन 69, 1986 आरएन 296, 1992 आर.एन.67, 1993 आरएन 151, 1984 आरएन 229, 1987 आरएन 123, 1971 आरएन 399, 1981 आरएन 451, 1996 आरएन 196,1982 आरएन 39, 1980 आरएन 279, 1986 आरएन 296, 1988 आरएन 290, 2000 आरएन 55 आदि के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 व 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदिका कमांक 1 पूर्व कोटवार की पुत्री है और संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार भूतपूर्व कोटवार के निकट संबंधी को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है, अतः आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि अनावेदिका कमांक 1 भूतपूर्व कोटवार की पुत्री होने से उसे प्राथमिकता मिलेगी । इस प्रकार आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर अनावेदिका कमांक 1 की नियुक्ति कोटवार के पद पर किये जाने के आदेश देने में किसी प्रकार की कोई

अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश वैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–9–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर